विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-04/14

संचालक, — आवेदक
एम.पी. बॉर्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड,
प्रोजेक्ट ऑफिस,
ए–2, लेक पैलेस, चूना भट्टी,
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) – 462016

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.),
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदक
मुलताई, जिला – बैतुल (म.प्र.) – 460661

आदेश

(दिनांक 18.07.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक T-16 संचालक, एम.पी. बॉर्डर चेक पोस्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड विरूद्ध महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 19.12.2013 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने 225 केवीए भार का उच्च दाब विद्युत कनेक्शन लिया था तथा उक्त भार में 75 केवीए की वृद्धि किए जाने का आवेदन उसके द्वारा दिए जाने पर अनावेदक द्वारा उसके आवेदन को स्वीकार किया जाकर भार में वृद्धि किए जाना स्वीकार किया गया था, जिसके अनुसरण में दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 08.07.2013 को अनुबंध निष्पादित हुआ था । अनुबंध निष्पादित होने के बाद उसे 15 दिवस का नोटिस दिया जाकर भार में वृद्धि की गई थी, जबकि सिस्टम में परिवर्तन होने पर नए कनेक्शन के अनुसार विद्युत उपभोक्ता को 3 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है । अतः उसे 15 दिवस के नोटिस के बाद दिनांक 01.08.2013 से पुनरीक्षित भार के आधार पर जो विद्युत देयक जारी किया गया है, उसे निरस्त किया जाए ।

3. अनोवदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि भार वृद्धि की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उपभोक्ता को भार वृद्धि किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके अनुसरण में दिनांक 08.07.2013 को अनुबंध निष्पादित हुआ था, इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता को 15 दिवस का नोटिस दिनांक 17.07.2013 को दिया गया था तथा उपभोक्ता को अवगत कराया गया था कि उसके द्वारा 300 के.वी.ए. भार का उपभोग किए जाने की जानकारी न दिए जाने की स्थिति में 15 दिन पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.08.13 से उसको संविदा मांग 300 केवीए भार के मान से देयक जारी किया जाएगा, इसी आधार पर उपभोक्ता को प्रश्नगत् देयक जारी किया गया था । भार वृद्धि की स्वीकृति के पूर्व उपभोक्ता की प्रणाली में कोई परिवर्तन या परिवर्धन अनावेदक की ओर से किया जाना अपेक्षित नहीं था, अतः उपभोक्ता को 3 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था ।

4. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता ने 3 महीनें के नोटिस पीरीयड के पूर्व ही बढ़े हुए भार का उपयोग शुरू कर दिया था, अतः दिनांक 01.08.13 से उसे बढ़े हुए भार के आधार पर जो देयक जारी किया गया है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक नहीं है ।

5. **विचारणीय प्रश्न यह है कि** :– क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को भार वृद्धि स्वीकृत किए जाने पर उपभोक्ता को नियमानुसार 3 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

6. उपभोक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि उसके तथा अनावेदक के मध्य जो संविदा निष्पादित हुई थी, उसमें बढ़ा हुआ भार किस दिनांक से लागू होगा वह तिथि अंकित नहीं थी, ऐसी स्थिति में उसे जो भार वृद्धि की गई थी उसके लिए भार वृद्धि, नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रियां के अनुसरण में अर्थात् 3 महीनें का नोटिस दिए जाने के बाद दिया जाना चाहिए था । इस संबंध में उपभोक्ता की ओर से मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 7.7 की ओर ध्यान दिलाया गया है, जो इस प्रकार है :–

> "7.7 If no addition or alteration to the system including new/ alternate metering arrangement is required, the enhanced load will be released from a date as stated in the new agreement after completion of the requisite formalities. If the system needs any alteration or addition, the procedure as given for a new connection shall be followed."

7. विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 7.7 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि यदि भार वृद्धि का अनुबंध निष्पादित होने के बाद प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा परिवर्धन आवश्यक हो तब नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रियां का पालन किया जावेगा । उपभोक्ता तथा अनावेदक के मध्य दिनांक 08.07.2013 को भार वृद्धि का अनुबंध निष्पादित होने के बाद भार वृद्धि के लिए प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता थी, इसकी जानकारी उपभोक्ता की ओर से नहीं दी गई है । उसकी ओर से इस तथ्य की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि दिनांक 08.07.2013 को अनुबंध निष्पादित होने के बाद प्रणाली में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया गया था । उपभोक्ता की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकें कि दिनांक 08.07.2013 को अनुबंध निष्पादित होने के बाद प्रणाली में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किए बिना उपभोक्ता को बढ़े हुए भार पर विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकती थी ।

8. धारा 7.7 से यह स्पष्ट है कि यदि प्रणाली में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन आवश्यक न हो तब आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद अनुबंध में अंकित की गई तिथि से बढ़ा हुआ भार दिया जाएगा । उपभोक्ता तथा अनावेदक के मध्य निष्पादित संविदा में भार वृद्धि की तिथि अंकित नहीं थी, परन्तु अनुबंध पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि उपभोक्ता को नोटिस दिए जाने के बाद भार में वृद्धि की जाएगी । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के पत्र क्रमांक 1942–43 दिनांक 17.07.13 के अनुसार उपभोक्ता से निवेदन किया गया था कि वह उस तिथि की जानकारी प्रदान करें, जिससे उसके द्वारा संविदा मांग 300 के.वी.ए. का उपयोग प्रारंभ किया जाएगा । उपभोक्ता को यह भी सूचित किया गया था कि यदि उसके द्वारा यह जानकारी नहीं दी जाती है तब दिनांक 01.08.13 से ही संविदा मांग के अनुरूप देयक जारी किया जाएगा । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार यह पत्र उपभोक्ता को साधारण डाक से भेजा गया था । उपभोक्ता के द्वारा यह आपत्ति की गई है कि उसे ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह तथ्य साबित माना जाए कि दिनांक 17.07.13 को प्रेषित पत्र उपभोक्ता को प्राप्त हुआ था । कोई भी उपभोक्ता भार वृद्धि उसी स्थिति में कराता है जब उसे बढ़े हुए भार की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में अनुबंध पत्र दिनांक 01.08.13 को निष्पादित होने के बाद यदि उसे बढ़े हुए भार की आवश्यकत नहीं थी तो वह इस बात की सूचना अनावेदक को दे सकता था कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण अनुबंध निष्पादित होने के बाद भी बढ़े हुए भार का उपभोग करने में असमर्थ है, परन्तु उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किसी दस्तावेज से उसके द्वारा ऐसा किया जाना परिलक्षित नहीं होता है । अतः स्पष्ट है कि अनुबंध पत्र निष्पादित होने की दिनांक से ही उसने बढ़े हुए भार का उपयोग चालू कर दिया था, ऐसी स्थिति में भार बढ़ाने की संविदा होने की दिनांक 08.07.2013 के पश्चात् उपभोक्ता को

15 दिन के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भार वृद्धि के आधार पर जो देयक जारी किया गया है वह पूर्णतः विधिसंगत प्रतीत होता है । ऐसे देयक में किसी तरह की अवैधता या अनियमितता का होना नहीं पाया जाता है ।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता की यह शिकायत कि उसे भार वृद्धि के आधार पर देयक 3 माह के नोटिस के बाद ही दिया जाना चाहिए था, का कोई विधिसंगत आधार होना नहीं पाया जाता है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा नियमानुसार उपभोक्ता को भार वृद्धि के आधार पर दिनांक 01.08.13 से देयक जारी किए गए हैं, अतः उपभोक्ता का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है । उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि की जाती है । उपभोक्ता का अभ्यावेदन पंजी से निरस्त हो ।

10. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल